न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 215/2023 | रजू दिनांक 30.05.2023 | निर्णय दिनांक 26.06.2023

उनवान

1. हंसराज पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
2. बिमला पत्नी अभयसिंह पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
3. सतीश पुत्र अभयसिंह पुत्र सूजरभान जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
4. धनराज पुत्र अभयसिंह पुत्र सूजरभान जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।

:—वादीगण।

बनाम

1. प्रकाश देवी पत्नी कंवरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
2. उपपंजीयक मॉढ़ण।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:— 1 श्री पीताम्बर एड0 वादीगण की ओर से।
2 श्री सुभाषचन्द एड0 प्रतिवादी की ओर से।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल ख.नं. 872/0.16, 885/0.12, 886/0.13, 887/0.33, 888/0.20, 889/0.08, 891/0.33, 892/0.11, 893/0.11, 894/0.15, 895/0.15, 896/0.30, 897/0.44, 899/0.12, 900/0.11, 901/0.30, 907/0.07 वाके ग्राम माजरा तह0नीमराना मे वादीगण के 3/8 हिस्सा दर बैल यानि 15.04 एयर भूमि का जरिये बैयनामा दिनांक 26.05.2015 को प्रतिवादनी सं. 01 को बेचान किया गया था। मौके पर प्रतिवादनी को 15.04 एयर भूमि पर ही कब्जा दिया गया था बैयनामा के मुताबिक इंतकाल सं. 796 स्वीकृत होकर जमाबंदी संवत 2072—75 मे खातेदारी का नोट लगाया था जो इन्द्राज सही था। परन्तु सेग्रीगेशन जमाबंदी संवत 2076—79 तैयार की गई उसमे वादीगण की खातेदारी समाप्त कर वादीगण के संपूर्ण खातेदारी हिस्सा 3/32 प्रतिवादनी सं0 01 के नाम दर्ज करदिया गया । जबकि बेचान 3/8 दर 1बैल यानि 15.04 एयर भूमि का ही किया गया था। सेग्रीगेशन मे प्रतिवादी सं. 01 के नाम से हिस्सा 3/64 यानि 15.04 दर्ज होना चाहिए था लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती व लापरवाही से खिलाफ कानून, खिलाफ मौका प्रतिवादनी सं. 01 के नाम से हिस्सा 3/32 यानि 30.09 एयर भूमि की खातेदारी गलत रूप से दर्ज कर दी गई जिससे वादीगण के हक हकूक प्रभावित होते है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकरी हम वादीगण को होने पर पिछली जमाबंदीयात देखी गई तो ज्ञात हुआ कि सेग्रीगेशन जमाबंदी मे वादीगण को नाम समाप्त कर दिया गया जिस पर हमने तहसीलदार साहब से दिनांक 05.05.2023 को दुरूस्ती करने के लिए कहा तो उन्होने न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद दायर करने के लिए कहा गया इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. अन्त में वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैं:—

ड अधिकारी
ना (अलवर)

Sidd/2023

(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी की हाल ख.नं. 872/0.16, 885/0.12, 886/0.13, 887/0.33, 888/0.20, 889/0.08, 891/0.33, 892/0.11, 893/0.11, 894/0.15, 895/0.15, 896/0.30, 897/0.44, 899/0.12, 900/0.11, 901/0.30, 907/0.07 वाके ग्राम माजरा तह0नीमराना जिला अलवर कि हाल जमाबंदी मे प्रतिवादनी सं. 01 के नाम दर्ज हिस्सा 3/32 को बैयनामा दिनांक 26.05.2015 एंव जमाबंदी संवत 2072—'75 के मुताबिक दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर 3/64 दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे एंव शेष 3/64 हिस्से की खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे जिस मे से 3/128 भाग का खातेदार वादी सं. 01 को तथा वादी सं. 02 लगा0 04 प्रत्येक को हिस्सा 1/128 का खातेदार घोषित किया जावे। शेष खातेदारी इन्द्राज बादस्तुर रखा जावे इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी के किसी भी भाग को रहन बय नही करे वादीगण को जबरन बेदखल नही करे मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रख।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादनी सं. 01 एंव वादीगण ने लिखित राजीनामा पेश किया जो राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण को सुना गया। प्रतिवादी सं. 01 ने राजीनामा मे वादीगण के वाद को स्वीकार किया है। और वाद को डिक्री किये जाने की सहमति दी है। नकल बैयनामा से साबित है कि वादीगण ने प्रतिवादनी सं. 01 को आराजी विवादित के हिस्सा 3/8 दर 1 बैल यानि कुल रकबा 15.04 एयर को बेचान किया था। जिस बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज हो कर जमाबंदी संवत 2072—75 मे भी क्रेता प्रकाश देवी को 3/8 दर 1 बैल का ही नोट अंकित किया गया था जो सही था। सेग्रीगेशन की जमाबंदी मे प्रतिवादनी को 3/32 हिस्से की खातेदार दर्ज कर दिया तथा वादीगण के नाम का अंकन नही किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद साबित होता है जो काबिल डिक्री करार पता है।

4. अतः आदेश है किः—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादनी सं. 01 बरूवे राजीनामा डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल ख0न0 872/0.16, 885/0.12, 886/0.13, 887/0.33, 888/0.20, 889/0.08, 891/0.33, 892/0.11, 893/0.11, 894/0.15, 895/0.15, 896/0.30, 897/0.44, 899/0.12, 900/0.11, 901/0.30, 907/0.07 वाके ग्राम माजरा तह0नीमराना के हाल राजस्व जमाबंदी मे प्रतिवादनी सं0 01 के नाम से दर्ज हिस्सा 3/32 मे से 3/64 हिस्से का वादीगण को खरीददार खातेदार घोषित किया जाता है। जिसमे 3/128 हिस्से का वादी सं. 01 को तथा 1/128 भाग की वादी सं0 02 लगा0 04 को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा शेष इन्द्राज बादस्तुर रखा जावे। इसी अनुसार बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो, पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

26/6/2023

मुकुन्द सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
215/2023	30.05.2023	26.06.2023

उनवान

1. हंसराज पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
2. बिमला पत्नी अभयसिंह पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
3. सतीश पुत्र अभयसिंह पुत्र सूजरभान जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
4. धनराज पुत्र अभयसिंह पुत्र सूजरभान जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।

:–वादीगण।

बनाम

1. प्रकाश देवी पत्नी कंवरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना।
2. उपपंजीयक मॉढ़ण।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:– प्रतिवादीगण।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

पस्थिती:– 1 श्री पीताम्बर एड0 वादीगण की ओर से।
2 श्री सुभाषचन्द एड0 प्रतिवादी की ओर से।

देनांक:– 26.06.2023

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादनी सं. 01 बरूवे राजीनामा डिकी किया ाकर वादीगण को हाल ख0न0 872/0.16, 885/0.12, 886/0.13, 887/0.33, 888/0.20, 39/0.08, 891/0.33, 892/0.11, 893/0.11, 894/0.15, 895/0.15, 896/0.30, 897/0. 4, 899/0.12, 900/0.11, 901/0.30, 907/0.07 वाके ग्राम माजरा तह0नीमराना के हाल जस्व जमाबंदी मे प्रतिवादनी सं0 01 के नाम से दर्ज हिस्सा 3/32 मे से 3/64 हिस्से का ादीगण को खरीददार खातेदार घोषित किया जाता है। जिसमे 3/128 हिस्से का वादी सं. 01 ो तथा 1/128 भाग का वादी सं0 02 लगा0 04 को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये ाते है तथा शेष इन्द्राज बादस्तुर रखा जावे। इसी अनुसार बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे ंकन कराये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगे।

26/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)